

सराहनीय कार्य



इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 24.10.2024

जान से मारने की नीयत से यूवक को चाकू मारकर घायल करने वाले 01 वाँछित अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन में एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 17.08.2024 को वादी जगदीश सिंह पुत्र मनोहर निवासी नगला जगे थाना सिविल लाइन जनपद इटावा द्वारा थाना सिविल लाइन पर तहरीरी सूचना दी गयी कि दिनांक 16.08.2024 की रात्रि समय 08.30 बजे जब वादी और उसका पुत्र गोविन्द कुमार खाना खा रहे थे, तभी वादी के बडे पुत्र विनोद कुमार व उसका साथी छोटे पुत्र जगन्नाथ निवासी राहतपुरा कॉलोनी थाना सिविल लाइन इटावा आये और वादी के छोटे पुत्र गोविन्द के साथ मारपीट करने लगे तथा जान से मारने की नीयत से चाकू मारकर घायल कर दिया।

सूचना के आधार पर थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 171/2024 धारा 115(2)/109 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

नोट:- गठित पुलिस टीमों द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये अभियुक्त शुभेन्द्र दीक्षित उर्फ छोटे पुत्र जगन्नाथ को दिनांक 18.08.2024 को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे दिनांक 24.10.2024 को थाना सिविल लाइन पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि मु0अ0सं0 171/24 से संबंधित अभियुक्त विनोद कुमार पुत्र जगदीश सिंह बुढैला मोड के पास कही जाने की फिराक मे खडा है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त विनोद कुमार पुत्र जगदीश सिंह बुढैला मोड के पास से समय 07.45 बजे 01 चाकू सहित गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 171/2024 धारा 115(2)/109 बीएनएस में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1. विनोद कुमार पुत्र जगदीश सिंह निवासी नगला जगे थाना सिविल लाइन जनपद इटावा उम्र 35 वर्ष । पंजीकृत अभियोग-
- 1. मु0अ0सं0 171/2024 धारा 115(2)/109 बीएनएस थाना सिविल लाइन जनपद इटावा। बरामदगी:-
 - 1. 01 चाकू (घटना में प्रयुक्त)

आपराधिक इतिहास:-

विनोद कुमार पुत्र जगदीश सिंह

- 1. मु0अ0सं0 20/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिविल लाइन जनपद इटावा
- 2. मु0अ0सं0 97/2023 धारा 279/304ए/338 भादवि थाना सिविल लाइन जनपद इटावा
- 3. मु0अ0सं0 166/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिविल लाइन जनपद इटावा
- 4. मु0अ0सं0 167/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिविल लाइन जनपद इटावा
- 5. मु0अ0सं0 171/2024 धारा 109/115(2) बीएनएस थाना सिविल लाइन जनपद इटावा
- 6. मु0अ0सं0 305/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सिविल लाइन जनपद इटावा

पुलिस टीम- निरी0 श्री यशवन्त सिंह प्रभारी थाना सिविल लाइन, उ0नि0 रविन्द्र सिंह, का0 कौशलेन्द्र सिंह।